भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3233
जिसका उत्तर मंगलवार, 17 मार्च, 2015 को दिया जाना है

कारों में एअर बैग

3233. श्री राजन विचारेः

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए कारों में एअर बैग प्रदान करने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त सुविधा के लिए उपभोक्ताओं को अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इसके कब तक कार्योन्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): भारत में कार विनिर्माता वाहन में विभिन्न सुरक्षा विशेषताएं प्रदान करते हैं। वर्तमान में विनिर्मित वाहन ज्यादा सुरक्षित हैं। एक अत्यावश्यक और मुख्य सुरक्षा आवश्यकता सीट बेल्ट है। सभी विनिर्मिताओं द्वारा अब इसे अनिवार्य रूप से प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार, दूसरी नियंत्रण प्रणालियां, जैसे कि एअर बैग्स भी बहुत से वाहन मॉडलों में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ): ऐसे बहुत से कार मॉडल हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ एक सामान्य सुविधा के रूप में एअर बैग्स हैं जिनकी लागत कार की कुल कीमत में शामिल होती है।

(ङ): सरकार की योजना देश के भीतर परीक्षण सुविधाएं विकसित करने के पश्चात् देश में नए मॉडलों के लिए वर्ष 2017 तक टक्कर संबंधी अनिवार्य विनियमों को लागू करने की है।

****